न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 90/2022

अनवान : –

1. बलवीर सिंह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

–सायल

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– गैरसायल

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 13/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 174/187 के खसरा न0 5, 7 की 8.7260है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 173/186 के ख0न0 1 की 9.3200है0 भूमि में से 1/20 हिस्सा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम बलवीर पुत्र मुन्शीराम है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम बलवीर सिंह पुत्र मुन्शीराम है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत ललाना उतरादा आदि में अंकित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाता है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम बलवीर सिंह पुत्र मुन्शीराम दुरूस्त करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का नाम बलवीर सिंह पुत्र मुन्शीराम दर्ज कर देवें तथा प्रार्थी का कोई हिस्सा कम व ज्यादा नही होना है केवल नाम ही संशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहा बिल आखिरकार बमुकाम तहसील परिसर कतई इन्कार हो गया लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम बलवीर सिंह पुत्र मुन्शीराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बलवीर गलत दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 174/187 के खसरा न0 5, 7 की कुल 8.7260है भूमि में 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 173/186 के ख0न0 1 की 9.3200है भूमि में प्रार्थी का 1/20 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम बलवीर सिंह पुत्र मुन्शीराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व रिपोर्ट ग्राम पंचायत ललाना उतरादा आदि में सही नाम बलवीर सिंह पुत्र मुन्शीराम अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का ललानाबास दिखनादा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत ललाना उतरादा व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 174/187 के खसरा न0 5, 7 की कुल 8.7260है भूमि में 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 173/186 के ख0न0 1 की 9.3200है भूमि में प्रार्थी का 1/20 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी बलवीर पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर सही नाम बलवीर सिंह पुत्र मुन्शीराम दुरस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच बलवीर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बलवीर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम बलवीर पुत्र मुन्शीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.12.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार [illegible] की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर